रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273192
CG-DL-E-05062026-273192

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2026/ज्येष्ठ 15, 1948**
No. 401]	**NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2026/JYAISTHA 15, 1948**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

सा.का.नि. 448(अ).— जबकि, स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के प्रारूप को, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.147 (अ) तारीख 24 फरवरी, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, को उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से, तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 25 फरवरी, 2026 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थी;

और जबकि, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 21 में, उप-नियम (16) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"(17) आईएसओ टंकी आधान का उपयोग संपीड़ित गैस के जमीन के ऊपर भंडारण के लिए किया जा सकेगा, यदि उसका आधार ठीक तरह से स्थिर रूप में स्थापित किया गया हो और आधार स्थापित करने के बाद संरचनात्मक दृढ़ता को संरचना अभियंता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों के, नियम 22 के उप-नियम (3) में, "छह से अधिक नहीं होगी", शब्दों के पश्चात, "किंतु, एक समूह में भूमोपरि भण्डारकरण पात्रों की संख्या नौ हो सकेगी" शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 47 का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 50 में,

(क) खंड (i) के उप-खंड (ग) में, शब्द, "भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर आईएसओ टंकी आधान में संपीड़ित गैस के परिवहन की अनुमति के संबंध में या को", शब्दों के पश्चात, "के लिए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (vi) को हटा दिया जाएगा।

6. उक्त नियमों के, नियम 51 में,

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द, "जिसके लिए अनुज्ञप्ति", शब्दों के पश्चात, "या अनुज्ञा" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4) आईएसओ टंकी आधान में संपीड़ित गैस के परिवहन या आयात और परिवहन के लिए प्ररूप-ठध-2ख में अनुज्ञा दी जाएगी या ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने की तारीख से अधिकतम दस वर्ष के अध्यधीन नवीनीकृत की जाएगी।"

7. उक्त नियमों के, नियम 54 में, उप-नियम (2) के, खंड (ङ) का लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियमों में, अनुसूची-I में, "**ख: लाइसेंस फीस से भिन्न अन्य फीस**" शीर्षक के अधीन, स्तंभ (2) में, क्रम संख्या 15 के सामने, "प्रयोजन" शीर्षक के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"आईएसओ टंकी आधान में संपीड़ित गैस के आयात और/या परिवहन की अनुज्ञा प्रदान करना"।

9. उक्त नियमों में, प्ररूप कध-4 में,

(क) "भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर आईएसओ टंकी आधान में संपीड़ित गैस के परिवहन की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन", शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्: -

"आईएसओ टंकी आधान में संपीड़ित गैस के आयात और/या परिवहन की अनुज्ञा देने के लिए आवेदन"।

(ख) अंत में, "आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के दो सेट होंगे" शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"(vi) स्तंभ (2) में क्रम संख्या 15 के सामने, शीर्षक **"ख: लाइसेंस फीस से भिन्न अन्य फीस"** के अधीन, अनुसूची-I में यथाविनिर्दिष्ट अनुज्ञा फीस,

10. उक्त नियमों में, प्ररूप टध-2 में, शर्त 16 के, मद (*क)* में, "और अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए दस्तावेजों के साथ इन नियमों के नियम 47 के अधीन संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा", शब्दों का लोप किया जाएगा, अर्थात्:-

11. उक्त नियमों में, प्ररूप टध-2 क का लोप किया जाएगा।

12. उक्त नियमों में, " प्ररूप ठध-2 ख" के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा: -

"प्ररूप-ठध-2ख

(*नियम 49 और 50 देखें*)

संपीडित गैस से भरे हुए अथवा भरे जाने वाले आईएसओ टंकी आधान के आयात और/या परिवहन की अनुज्ञा

सेवा में, ____________________

____

विषय: स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के अधीन संपीडित गैस से भरे हुए अथवा भरे जाने वाले आईएसओ टंकी आधान का आयात और परिवहन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र सं.__________________ दिनांक _________________ का संदर्भ लें।

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ________________ गैस से भरे हुए अथवा भरे जाने वाले आईएसओ टंकी आधान के आयात और ________________ से ________________ पर स्थित आपके कारखाने के परिसर तक परिवहन (और खाली या भरे आईएसओ टंकी आधान की वापसी) की अनुज्ञा दी जाती है:

1. फैब्रिकेटर का नाम :
2. क्रम संख्या :
3. डिजाइन/कार्यशील दबाव :
4. डिजाइन तापमान :
5. फैब्रिकेशन कोड अथवा प्रकार :
6. पानी की क्षमता :
7. जांच एवं निरीक्षण :

8. प्रमाणपत्र संख्या एवं तारीख :

9. वजन :

10. सेफ्टी वाल्व सेट प्रेशर :

11. बल्क स्टोरेज अनुज्ञप्ति संख्या :

यह अनुमति _______ तक वैध है

निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उपर्युक्त अनुज्ञा प्रदान की जाती है, अर्थात् :-

1. आईएसओ टंकी आधान के परिवहन के दौरान सुरक्षा सावधानियों और इन नियमों के सुसंगत प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
2. वाहन के एक्जॉस्ट में, यदि लागू हो, तो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित स्पार्क अरेस्टर लगाया जाएगा।
3. कंटेनर को चढ़ाना अथवा उतारना आपके संगठन के एक जिम्मेदार अधिकारी की प्रत्यक्ष देखरेख में और एक सक्षम व्यक्ति या मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा स्थिर व गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के नियम 43 के अधीन जारी सुरक्षा प्रमाण-पत्र के अधीन किया जाएगा।
4. बंदरगाह अथवा परिवहन तथा अन्य संबंधित प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञा अथवा मंजूरी अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाएगी।
5. टैंक का सकल भार वाहन के पंजीकृत लदे भार से अधिक नहीं होगा।
6. उत्पाद को केवल इन नियमों, के प्ररूप-ठध-1क में अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर में ही लोड या अनलोड किया जाएगा।
7. आईएसओ टंकी आधान का उपयोग उस संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए किया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा मंजूरी जारी की गई है।
8. आईएसओ टंकी आधान पर आईएसओ 6348 की अपेक्षाओं के चिह्नांकन होगा।
9. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल में यथाविनिर्दिष्ट तरीके से आईएसओ टंकी आधान का आवधिक निरीक्षण किया जाएगा।
10. आईएसओ टंकी आधान की मरम्मत मूल उपकरण विनिर्माता या मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा अनुशंसित और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा अनुमोदित अभिकरणों द्वारा की जाएगी।
11. अनुज्ञा पत्र को अनुज्ञा प्राप्त वाहन में हर समय रखा जाएगा और नियम 70 में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
12. अनुज्ञा प्राप्त वाहन चलाने या तत्सम्बन्धी किसी भी कार्य के लिए केवल ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को अनुज्ञा दी जाएगी जो इस अनुमति की शर्तों के जानकार हों।
13. आईएसओ टंकी आधान को ले जाने वाले वाहन के साथ हमेशा एक जिम्मेदार व्यक्ति तथा संपीड़ित गैस के परिवहन के समय कम से कम दो व्यक्ति मौजूद रहेंगे:

    परंतु आईएसओ टंकी आधान को ले जाने वाला वाहन, यदि खाली हो, तो मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में, उस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किए गए स्थान पर बिना किसी की मौजूदगी के खड़ा किया जा सकता है।

14. आईएसओ टंकी आधान को ले जाने वाले वाहन में हमेशा निम्नलिखित उपलब्ध रखा जाए –

i. कम से कम दो पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र, जिनकी क्षमता 9 लीटर से कम न हो और रासायनिक आग बुझाने के लिए उपयुक्त हो;

ii. ज्वलनशील संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन के मामले में विद्युत बॉन्डिंग के लिए एक मजबूत लचीला केबल; यह केबल कम से कम 5 मीटर लंबा होगा और इसके प्रत्येक छोर पर एक उपयुक्त क्लैम्प या क्लिप होगा।

15. संपीड़ित गैस के, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा नियमों के अधीन इस प्रयोजन से अनुज्ञप्त परिसर के अन्दर अनुमोदित स्थान के सिवाय किसी अन्य स्थान पर या जब पात्र मय फिटमेन्ट रिसाव, दोषपूर्ण या अन्यथा असुरक्षित हो, आईएसओ टंकी आधान में/ से लोड या अनलोड नहीं किया जाएगा।

परंतु किसी दुर्घटना या ब्रेक डाउन की स्थिति में अनलोडिंग आवश्यक हो जाती है तो, आईएसओ टंकी आधान को सभी सावधानियों और पर्याप्त पर्यवेक्षण के साथ किसी भी अन्य स्थान पर अनलोड किया जा सकता है।

16. किसी आईएसओ टंकी आधान द्वारा किसी भी संपीड़ित गैस को सीधे किसी भी प्रोसेस पात्र में डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा।

17. यदि कोई भी फिटमेंट मय पात्र लीक, दोषपूर्ण या अन्यथा असुरक्षित हो, तो अनुज्ञा प्राप्त आईएसओ टंकी आधान लोड नहीं किया जाएगा।

18. अनुमत आईएसओ टंकी आधान में संपीड़ित गैस लोड करने या अनलोड करने से पहले-

(क) इसके इंजन को बंद कर दिया जाएगा और बैटरी को एक उचित स्विच या अन्यथा अलग किया जाएगा;

(ख) इसके पहिए ब्रेक द्वारा या स्कौचिंग द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे;

(ग) यदि वाहन ज्वलनशील संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो इसकी चेसिस को पाइप के साथ एक केबल द्वारा या जिसमें से इसे लोड या अनलोड किया जाना है, विद्युत रूप से जोड़ा जाएगा;

(घ) दोनों सिरों पर सही प्रकार में भरण या डिस्चार्ज पाइप कनेक्शन किए जाएंगे;

(ङ) जब तक लोडिंग या अनलोडिंग खत्म न हो जाए और वाहन को सील न कर दिया जाए, एक जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित रहेगा।

19. ट्रैफिक सिग्नलों पर या अनुज्ञापन प्राधिकारी की अपेक्षा या नियमों को लागू करने वाले किसी अन्य अधिकारी के कहे जाने के सिवाय, आईएसओ टंकी आधान को ले जाने वाला वाहन किसी सड़क पर, भीड़भाड़ युक्त स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर जो आईएसओ टंकी आधान वाहन के लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति परिसर के अन्दर कोई स्थान नहीं है, नहीं रोका जाएगा।

20. किसी ज्वलनशीन गैस के परिवहन के लिए उपयोग में लाए जा रहे अनुज्ञा प्राप्त वाहन पर धूम्रपान और किसी भी प्रकार के अग्नि का स्रोत या कृत्रिम रोशनी या कोई वस्तु जो ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न कर सकता है, की अनुज्ञा नहीं होगी।

21. आईएसओ टंकी आधान वाहन यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

22. अनुज्ञापन प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के बिना आईएसओ टंकी आधान या उसकी सुरक्षा फिटिंग्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। मंजूर किए गए ऐसे बदलाव अनुज्ञप्ति में संशोधन के रूप में पृष्ठांकित होने चाहिए।

23. अनुमति प्राप्त आईएसओ टंकी आधान के अन्दर घटित किसी दुर्घटना, अग्नि, विस्फोट या किसी अप्रिय घटना की सूचना संप्रेषण के शीघ्रगामी साधन द्वारा तत्काल मुख्य नियंत्रक, नियंत्रक, निकटतम पुलिस थाना और जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी।

टिप्पण:-

1. उपरोक्त अनुज्ञा में सुरक्षा के हित में और शर्तों के उल्लंघन की दशा में, आवश्यक होने पर किसी भी समय समीक्षा, संशोधन किया जा सकता है और उसे वापस लिया जा सकता है।

[फा. सं. 2(1)/2017-विस्फोटक]

डॉ. काजल, संयुक्त सचिव

टिप्पण– मूल नियम- मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि.1109 (अ) तारीख 1 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उन्हें निम्नानुसार संशोधित किया गया था।

(1) सा.का.नि. 388 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 2018;

(2) सा.का.नि. 148 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2019;

(3) सा.का.नि. 609(अ) तारीख 31 अगस्त, 2021;

(4) सा.का.नि. 283(अ) तारीख 28 अप्रैल, 2025;

(5) सा.का.नि. 374(अ) तारीख 5 जून, 2025 और

(6) सा.का.नि. 422(अ) तारीख 25 जून, 2025

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2026

G.S.R. 448(E).— Whereas, the draft of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, were published, as required by sub-section (*1*) of section 18 of the Explosives Act, 1884 (4of 1884),*vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R.147 (E), dated the 24thFebruary, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (*i*), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 25th February, 2026;

And whereas, objection and suggestions received in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, namely: –

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) (Amendment) Rules, 2026.

(*2*) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 (hereinafter referred to as said rules), in rule 21, after sub-rule (16), the following sub-rule shall be inserted, namely: –

"(17) ISO Tank Container may be used for above ground storage of compressed gas, if it is properly anchored to the foundation and after anchoring, its structural integrity shall be certified by a structural engineer.".

3. In the said rules, in rule 22, in sub-rule (3), after the words, "not exceed six", the words "but, the number of mounded storage vessels in one group may be nine" shall be inserted.

4. In the said rules, rule 47 shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 50, –

(a) in clause (*i*), in sub-clause (*c*), for the words, "in respect of permission to transport compressed gas in ISO Tank Container within the Indian territory or to", the word "for" shall be substituted;

(b) clause (*vi*) shall be deleted.

6. In the said rules, in rule 51, –

(a) in the marginal heading, after the words, "which licenses", the words, "or permission" shall be inserted;

(*b*) after sub-rule (*3*),the following sub-rule shall be inserted, namely: –

"(*4*) A permission in Form-LS-2B for the transport or import and transport of the compressed gas in ISO Tank Container shall be granted or renewed subject to a maximum ten years from the date of grant of permission.".

7. In the said rules, in rule 54, in sub-rule *(2),* clause *(e)* shall be omitted.

8. In the said rules, in SCHEDULE-I, under the heading "**B: Fee other than license fee**', against serial no. 15, in column (2), under the heading "Purpose", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Grant of permission to import and/or transport Compressed gas in ISO Tank container.".

9. In the said rules, in FORM AS-4,

(a) for the heading "APPLICATION FOR THE GRANT OF PERMISSION TO TRANSPORT COMPRESSED GAS IN ISO TANK CONTAINER WITHIN INDIAN TERRITORY", the following heading shall be substituted, namely:–

"APPLICATION FOR THE GRANT OF PERMISSION TO IMPORT AND / OR TRANSPORT COMPRESSED GAS IN ISO TANK CONTAINER" .

(b) at the end, under the heading "Application shall accompany two sets of following documents", for serial no (vi) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"(vi) Permission fee as specified in in SCHEDULE -I, under the heading "**B: Fee other than license fee"** against serial no. 15, in column (2)."

10. In the said rules, in FORM LS-2, in condition 16, in item (*a*), the words "and No Objection Certificate issued under Rule 47 of these rules from the concerned Authority shall be submitted along with documents for grant of license" shall be omitted.

11. In the said rules, FORM LS-2 A shall be omitted.

12. In the said rules, for "FORM LS-2 B", the following FORM shall be substituted namely: –

"FORM-LS-2B

(*See rules 49 and 50*)

PERMISSION FOR IMPORT AND/OR TRANSPORT OF ISO TANK CONTAINER FILLED OR IN TENDED TO BE FILLED WITH COMPRESSED GAS

To, ____

Subject: – Import and transport of ISO tank container filled or intended to be filled with compressed gas under Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016.

Sir,

Please refer to your letter No________________________Dated

____________________on the above subject.

Permission is hereby accorded for import of ISO Tank Container filled with or intended to be filled with________________gas and transport from_____to your factory premises located at_________(and return of empty or filled ISO Tank Container) as per the details furnished below:

1. Name of the fabricator:
2. Serial No:
3. Design or working pressure:
4. Design temperature:
5. Fabrication code or type:
6. Water capacity:
7. Test and inspection:
8. Certificate no. anddate:
9. Weight:
10. Safety valve set pressure:
11. Bulk storage licence no.:

The permission is valid till__________

The above permission is accorded subject to the following conditions, namely: -

1. Safety precautions and relevant provisions of these rules shall be strictly complied with during transportation of the ISO Tank Container.
2. The exhaust of the vehicle shall be fitted with a spark Arrestor of a make approved by the Chief Controller of Explosives if applicable.
3. The mounting or demounting of the container shall be carried out under the direct supervision of a responsible officer of your organisation and a Safety Certificate under Rule 43 issued under Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 by a competent person or third Party Inspection Agency duly recognized by the Chief Controller of Explosives.
4. Necessary permission or clearance or licences shall be obtained from Port or Transport and any other authority concerned.
5. The gross weight of the tank shall not exceed the Registered Laden Weight of the vehicle.
6. Product shall be loaded or unloaded only in the premises licensed in FORM-LS-1A of these rules.
7. ISO Tank Container shall be used for transportation of compressed gas for which permission is granted
8. ISO Tank Container shall bear Markings as per the requirements of ISO 6348.

9. The periodic inspection of ISO Tank Container shall be carried out as specified in International Maritime Dangerous Goods.

10. The repair of ISO Tank Container shall be carried out by Original Equipment Manufacturer or agencies recommended by Original Equipment Manufacturers and approved by Petroleum and Explosives Safety Organisation.

11. The permission letter shall be kept at all times in the permitted vehicle and produced on demand by an officer specified in rule 70.

12. Only responsible persons who are conversant with the conditions of this permission shall be employed for driving the Permitted vehicle or attending to it.

13. The vehicle carrying ISO Tank container shall be constantly attended to by a responsible person and by at least two persons while it is transporting compressed gas:

Provided that the vehicle carrying ISO Tank Container may, if empty, be kept unattended in a place approved for the purpose, in writing, by the Chief Controller or Controller.

14. The vehicle carrying ISO Tank container shall at all times carry–

iii. at least two portable fire extinguishers of capacity not less than 9 liters and suitable for extinguishing chemical fires;

iv. a strong flexible cable for electrical bonding in case of vehicle used for transportation of flammable compressed gas; the cable shall be at least 5 meters long and shall have at each end a suitable clamp or clip.

15. The compressed gas shall not be loaded or unloaded in/from ISO Tank Container except in a place which is approved within the premises licensed for the purpose under the rules by the Chief Controller or Controller or when the fitments including vessel becomes leaky, defective or otherwise insecure. Provided that the permitted ISO Tank Container may be unloaded at any other place with all the precautions and under adequate supervision if such unloading is necessitated by an accident or break down.

16. No ISO Tank Container shall discharge any compressed gas directly into any process vessel.

17. The permitted ISO Tank Container shall not be loaded if any of the fitments including vessel becomes leaky, defective or otherwise insecure.

18. Before compressed gas is loaded into or unloaded from the permitted ISO Tank Container–

(a) its engine shall be stopped and the battery shall be isolated by a proper switch or otherwise;

(b) its wheels shall be secured by brakes or by scotching;

(c) its chassis shall be electrically bonded by a cable with the pipe into or from which it is to be loaded or unloaded, in case of vehicle used for transportation of flammable compressed gas;

(d) the correct filling or discharge pipe connections are made at both ends;

(e) a responsible person shall be in attendance and remain so until loading or unloading is over and the vehicle has been sealed.

19. Except when called upon by traffic signals or required by the licensing authority or any other officer entrusted with the job of enforcing the rules, the vehicle carrying ISO Tank container shall not stop on any road, congested area or a place which is not a place situated within the premises licensed under the rules for the loading and unloading of ISO Tank Container vehicle.

20. No smoking and no fire or artificial light or any article capable of igniting flammable vapor shall be allowed on the permitted vehicle used for the transportation of any flammable gas.

21. The ISO Tank Container vehicle shall not be used for carrying passengers.

22. No alteration in the permitted ISO Tank Container or its safety fittings shall be carried out without previous sanction in writing of the licensing authority. Such alteration so sanctioned shall be endorsed on the licence by an amendment.

23. Any accident, fire, explosion or untoward incident occurred within the permitted ISO Tank Container vehicle shall be immediately reported to the Chief Controller, Controller, nearest police station and District Magistrate by quickest mode of communication.

Note:-

1. The above permission may be reviewed, amended and withdrawn at any time, if considered necessary in the interest of safety and contravention of conditions."

[F. No. 2(1)/2017-Expl]

Dr. KAJAL, Jt. Secy.

Note: – The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 1109 (E), dated the 1st December, 2016 and was subsequently amended as follows: –

(1) G.S.R 388(E), dated the 20th April, 2018;

(2) G.S.R 148(E), dated the 25th February, 2019;

(3) G.S.R. 609(E) dated 31st August, 2021;

(4) G.S.R. 283(E) dated 28th April, 2025;

(5) G.S.R.374(E) dated 5th June, 2025 and

(6) G.S.R.422(E) dated 25th June, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA